

1- कार्यालयध्यक्ष का पदनाम:- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर  
कार्यालय का पता:- विकास भवन द्वितीय तल, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर।

दूरभाष संख्या-0131-2621417

2-जन सूचना अधिकारी का नाम- डा० विक्रम सिंह वर्मा,  
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर

3-सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम:- डा०एस०पी०यादव,  
पशु चिकित्साधिकारी, सदर, मुजफ्फरनगर

4- अपीलीय अधिकारी का नाम-डा० राजेश सिंह ,उप निदेशक, पशुपालन विभाग,  
कपिल विहार बर्फ खाने वाली गली,दिल्ली रोड,सहारनपुर। 0132-2713315

5- मुख्यालय का पता:- कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग ,  
बादशाहबाग, उ०प्र०, लखनऊ

दूरभाष संख्या-0522-2740202 फ़ैक्स संख्या-0522-2740832

## पशु पालन विभाग द्वारा जनपद में संचालित योजनाएं

### (1) पशुओं में चिकित्सा की सुविधा की योजना

पशुपालकों के बीमार पशुओं की चिकित्सा की सुविधा विभाग के 69 पशु चिकित्सालयों, 4 ग्राम समूह खण्डों, 1 पॉलीक्लीनिक, 8 "द" श्रेणी पशु औषधालय, 39- पशु सेवा केन्द्रों, 24 ग्राम समूह पशु सेवा केन्द्रों द्वारा निम्न चिकित्सा शुल्क जैसे-बड़े पशु-गाय, भैंस, बैल रू0 5.00, छोटे पशु-भेड़, बकरी रू0 2.00, एवं कुत्ता, बिल्ली रू0 10.00 शुल्क लेकर पशुओं में चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाती है ।

### (2) पशुओं में बधियाकरण की योजना

गाय के बछड़ों को बधिया कर बैल योग्य बनाया जाता है तथा बकरों में भी बधिया शुल्क रू0 5.00 एवं प्रति बैल रू0 10.00 शुल्क लेकर बधियाकरण की सुविधा प्रदान की जाती है ।

### (3) पशुओं में रोगों की रोकथाम हेतु टीकाकरण की योजना

बरसात के मौसम में पशुओं में भयंकर बीमारियों का प्रकोप होने की सम्भावना रहती है । जिसकी रोकथाम हेतु बीमारियों पनपने से पूर्व ही विभागीय संस्थाओं पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा गलघोटू के टीकाकरण की सुविधा रू0-2-00 शुल्क लेकर प्रदान की जाती है । जिससे कि प्रत्येक वर्ष कई हजार पशुओं की बीमारी होने से बचाया जाता है । खुरपका-मुँहपका रोग की रोकथाम के लिये भारत सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण के दस चरण पूर्ण हो चुके हैं ।

### (4) गौवंशीय तथा महिषवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान की योजना

इस जनपद में विभागीय संस्थाओं पर कार्यरत स्टाफ के द्वारा पशुओं में विदेशी नस्ल के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा रूपये 30.00 शुल्क पर प्रदान की जाती है । यह योजना विभागीय संस्थाओं के अतिरिक्त डोर इन्सीमीनेटर/पैरावेटस के द्वारा पशुपालकों के द्वार पर जाकर राजकीय शुल्क रूपये 40.00 प्राप्त कर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान की जाती है ।

### (5) सूकर प्रजनन की योजना

जनपद में तीन सूकर विकास खण्ड-खतौली, थानाभवन, एवं कांधला में है । जिनके अन्तर्गत 8 पशु चिकित्सालयों बसेडा, ऊन, खतौली, गढीपुख्ता, कांधला, लालूखेडी, बघरा एवं बुढाना पर अच्छी नस्ल के सूकर सांडों के द्वारा सूकरियों में गर्भाधान का कार्य रूपये 1.00 लेवी शुल्क प्राप्त कर कराया जाता है ।

## **(6) भेड प्रजनन की सुविधा की योजना**

जनपद में 6 भेड प्रजनन केन्द्रों—मोरना, खतौली, राजपुर—छाजपुर, शोरम, बुढाना एवं मीरापुर में संचालित किये गये हैं। इन केन्द्रों पर 40—40 उन्नतशील भेडों द्वारा क्षेत्रीय भेड पालकों की भेडों में निःशुल्क भेड प्रजनन की सुविधा प्रदान की जाती है। जिससे कि भेडों में अच्छे किस्म की ऊन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है।

## **(7) बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रों पर बकरी उत्पादन की योजना**

जनपद में 16 पशु चिकित्सालयों पर 38 बकरे रखे गये हैं। जिसके माध्यम से उन्नत नस्ल के बकरों द्वारा बकरा/बकरी पैदा कराकर जनपद में गरीबी रेखा से नीचे/ऊपर के व्यक्तियों के व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाता है। जिससे की बकरियों की नस्ल में सुधार किया जाता है। इसकी लेवी विभाग द्वारा रूपये 2.00 प्राप्त की जाती है। जिन पशु चिकित्सालयों पर बकरे रखे गये हैं, उनके नाम निम्न प्रकार हैं:— मु0नगर, बसेडा, गढीपुख्ता, लिसाढ, शामली, शाहपुर, जानसठ, मोरना, बुढाना, कैराना, पुरा, खतौली, थानाभवन, लालूखेडी, एवं बघरा।

## **(8) ब्रायलर एवं लेयर्स पक्षियों के वितरण की योजना**

विभागीय संस्थाओं पर कार्यरत कर्मचारियों के माध्यम से बिना हानि—लाभ के निर्धारित राजकीय मूल्य पर उन्नत किस्म के कुक्कुट चूजों का वितरण कुक्कुट पालकों में विभाग द्वारा किया जाता है।

## **(9) उन्नत नस्ल के चारा बीजों के वितरण की योजना**

इस योजना के अन्तर्गत राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के राजकीय निर्धारित मूल्य पर उन्नत किस्म के चारा बीजों—जई, बरसीम, एम0पी0चरी, मक्का आदि बीजों का राजकीय संस्था से क्रय कर क्रय मूल्य पर ही पशु चिकित्साधिकारियों के माध्यम से वितरित किया जाता है।

## **(10) एकीकृत सूकर विकास योजना (जिला योजना)**

इस योजना के अन्तर्गत जनपद में एकीकृत सूकर विकास योजनान्तर्गत समूह गठन की कार्यवाही की जा रही है। जिसमें समूह का गठन किया जायेगा तथा समूह के 90 सदस्यों को 100 प्रतिशत अनुदान पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

**(11) बैकयार्ड पोल्ट्री योजना :-** इस योजना अन्तर्गत जनपद जनपद में 199206 पक्षियों पर पशुगणना 2003 के आधार पर दिया गया है, जिसकी पूर्ति जनपद के पशु चिकित्सालयों के माध्यम से इकाइयों का गठन कर करायी जायेगी।

**(12) स्वर्ण ज्यन्ती स्वः रोजगार योजना :-** इस योजना अन्तर्गत जनपद में समूह गठन कराये जाने हैं। जो व्यक्ति पशुपालन कार्य करने में रुचि रखते हैं, उन व्यक्तियों को एकत्र कर समूहों का गठन पशु चिकित्सालयों पर कार्यरत पशु चिकित्साधिकारियों के माध्यम से कराया जायेगा।

**(13) अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना :-** इस योजना अन्तर्गत जनपद को 393 इकाइयों गठित करने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। जो व्यक्ति पशुपालन कार्य करने में रुचि रखते हैं, उन व्यक्तियों को एकत्र कर इकाइयों पशु चिकित्सालयों पर कार्यरत पशु चिकित्साधिकारियों के माध्यम से गठित करायी जायेगी। इसमें निम्न प्रकार समूहों का गठन किया जायेगा।

समूह का नाम	बकरी	सूकर	कुक्कुट ब्रायलर पालन	कुक्कुट लेयर पालन	पडवा पालन	पडिया पालन	खच्चर	डेरी	योग
समूहों की संख्या	55	55	35	10	20	20	10	68	273

**(13) प्रशिक्षण:-** इस योजना अन्तर्गत जनपद को 14 पशुपालन प्रशिक्षण तथा 14 पशुपालन गोष्ठियों के आयोजन का लक्ष्य आवंटित किया गया है। जो व्यक्ति पशुपालन कार्य करने में रुचि रखते हैं, उन व्यक्तियों को पशुपालन से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा पशुपालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जायेगी।

आधार भूत आंकडे

जनपद मुजफ्फरनगर में विकास खण्डवार पशु चिकित्सा एवं पशु सेवाएं

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	पशु चिकित्सालय/ पॉलीक्लीनिक	"द" श्रेणी पशु औष०	पशु सेवा केन्द्र	पॉलीक्लीनिक	ग्रा० स० खण्ड	ग्राम समूह इकाई	तरल नत्रजन केन्द्र	मेढा केन्द्र	बकरा इकाई	सूकर इकाई
1	मुजफ्फरनगर	1	—	3	1	1	6	1	—	1	—
2	बघरा	6	1	3	—	—	—	—	—	2	2
3	चरथावल	4	—	—	—	1	6	—	—	—	—
4	पुरकाजी	2	1	5	—	—	—	—	—	1	1
5	कैराना	3	—	4	—	—	—	—	—	1	—
6	शामली	7	1	5	—	—	—	—	—	1	—
7	थानाभवन	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—
8	ऊन	5	2	2	—	—	—	—	—	1	2
9	खतौली	6	—	1	—	1	6	—	1	1	1
10	जानसठ	5	1	3	—	—	—	—	1	1	—
11	मोरना	4	1	3	—	—	—	—	1	1	—
12	बुढाना	6	—	5	—	—	—	—	1	1	1
13	शाहपुर	6	—	3	—	—	—	—	1	2	—
14	कांधला	11	1	5	—	1	6	—	1	2	1
<b>योग</b>		<b>69</b>	<b>8</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>16</b>	<b>8</b>

पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के कवरींग के लिये प्रति 15000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय एवं प्रति 10000 पशु पर एक पशु सेवा केन्द्र

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	न्याय पंचायतों की संख्या	पशुओं की संख्या	पशु चिकित्सालय		“द” श्रेणी पशुचिकित्सालय	पशु सेवा केन्द्र वर्तमान
				वर्तमान	पॉलीक्लीनिक		
1	मुजफ्फरनगर	9	95263	1	1	—	3
2	बघरा	8	73992	6	—	1	3
3	चरथावल	7	97447	4	—	—	—
4	पुरकाजी	7	89215	2	—	1	5
5	कैराना	6	55067	3	—	—	4
6	शामली	7	87496	7	—	1	5
7	थानाभवन	8	36922	3	—	—	2
8	ऊन	10	81478	5	—	2	2
9	खतौली	11	75202	6	—	—	1
10	जानसठ	9	96634	5	—	1	3
11	मोरना	9	67632	4	—	1	3
12	बुढाना	7	73315	6	—	—	5
13	शाहपुर	6	57167	6	—	—	3
14	कांधला	8	87005	11	—	1	5
	नगरीय		82938				
<b>योग</b>			<b>1156773</b>	<b>69</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>44</b>

**17 वीं पशु गणना पशुपालन विभाग वर्ष 2003 जनपद— मुजफ्फरनगर**

क्र० सं०	तहसील का नाम	गौवंशीय पशु	महिषवंशीय पशु	भेड	बकरी	घोडे एवं टट्टू	खच्चर	गधे	ऊँट	सूकर	कुल पशुधन	कुक्कुट
1	कैराना	27392	113454	1797	39343	1344	146	71	31	6094	189672	18851
2	बुढाना	29256	167587	1951	8800	981	457	567	4	5819	215422	10522
3	शामली	36459	122329	883	10311	760	239	231	2	7079	178293	123068
4	जानसठ	67583	182949	1812	18672	1106	556	548	1	7105	280332	27844
5	सदर	60756	204299	2159	14273	1278	394	439	3	9453	293054	18676
<b>योग</b>		<b>221446</b>	<b>790618</b>	<b>8602</b>	<b>91399</b>	<b>5469</b>	<b>1792</b>	<b>1856</b>	<b>41</b>	<b>35550</b>	<b>1156773</b>	<b>198961</b>

## सूकर पालन प्रशिक्षण

- 1- कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यालयदिवस में कार्यालय से फार्म प्राप्त कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।
- 2- प्रशिक्षण के लिए फार्म पर प्रमाणित फोटो लगाना होगा।
- 3- प्रशिक्षण के पहचान पत्र,पता प्रमाण-पत्र शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र तथा एक चरित्र प्रमाण लगाना अनिवार्य होगा।
- 4- प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय जैसे आने जाने का किराया तथा खाने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं करनी होगी।
- 5- रहने की व्यवस्था प्रशिक्षण केन्द्र ,अलीगढ पर की गई है।
- 6- प्रशिक्षण में भाग तभी लेना होगा जबकि प्रशिक्षण प्राप्त करने की सूचना पशुपालन निदेशालय से अभ्यार्थी को सीधे प्राप्त हो जाये।

## निर्धारित फार्म

पशु पालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित सूकर प्रशिक्षण हेतु  
प्रारूप-पत्र

- 1- नाम :-----
- 2- पिता का नाम :-----
- 3- जाति :- ( )
- अ- अनुसूचित जाति/जनजाति :-
- ब- पिछडा वर्ग/सामान्य वर्ग :-
- स- (सक्षम अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रतृ संलग्न

फोटो प्रमाणित

4- जन्म तिथि ( )

5- शैक्षिक योग्यता :-----

6- स्थायी पता :-----

-----

-----जनपद ( )

7- पत्र व्यवहार का पता :-----

-----

8- प्रशिक्षण प्राप्त करने का उद्देश्य :-

9- पासपोर्ट साईज का फोटो यथा स्थान पर ही चिपकायें ।

10- अन्य विवरण यदि हो तो लिखें( )

11- क्या आप बेरोजगार हैं- हाँ, नहीं, ( )

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

पिता का नाम :-

के.पी./-

-----

स्थानीय पता :-----

-----

जनपद :-----

## कुक्कुट(मुर्गी) पालन प्रशिक्षण

- 1- कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्यालयदिवस में कार्यालय से फार्म प्राप्त कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।
- 2- प्रशिक्षण के लिए फार्म पर प्रमाणित फोटो लगाना होगा।
- 3- प्रशिक्षण के पहचान पत्र,पता प्रमाण-पत्र शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र तथा एक चरित्र प्रमाण लगाना अनिवार्य होगा।
- 4- प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय जैसे आने जाने का किराया, रहने तथा खाने की व्यवस्था अभ्यार्थी को स्वयं करनी होगी।
- 5- प्रशिक्षण में भाग तभी लेना होगा जबकि प्रशिक्षण प्राप्त करने की सूचना मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,मुजफ्फरनगर के कार्यालय से अभ्यार्थी को सीधे प्राप्त हो जाये।

## निर्धारित फार्म

पशु पालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित कुक्कुट प्रशिक्षण हेतु  
प्रारूप-पत्र

- 1- नाम :-----
- 2- पिता का नाम :-----
- 3- जाति :- ( )
- अ- अनुसूचित जाति/जनजाति :-
- ब- पिछडा वर्ग/सामान्य वर्ग :-
- स- (सक्षम अधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र की प्रतृ संलग्न)
- 4- जन्म तिथि ( )

फोटो प्रमाणित

5- शैक्षिक योग्यता :-----

6- स्थायी पता :-----

-----  
-----जनपद ( )

7- पत्र व्यवहार का पता :-----

-----

8- प्रशिक्षण प्राप्त करने का उद्देश्य :-

9- पासपोर्ट साईज का फोटो यथा स्थान पर ही चिपकायें ।

10- अन्य विवरण यदि हो तो लिखें( )

11- क्या आप बेरोजगार हैं- हाँ, नहीं, ( )

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

पिता का नाम :-

के.पी./-

-----  
स्थानीय पता :-----

-----  
जनपद :-----

### प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी विभागीय/कार्यालय रिकार्ड के अनुसार त्रुटिरहित है तथा सत्य है। सी0डी0 में दी गई सूचना को जनपद की वेबसाईट पर प्रकाशित कर दिया जाये।

(डा0 विक्रम सिंह वर्मा)  
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी  
मुजफ्फरनगर।